क्रम संख्या–77

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0–डब्लू/एन0पी0–91/2011–13
लाइसेंस टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

~~लखनऊ, शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2011~~
चैत्र 11, 1933 शक संवत्

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप अनुभाग–1
————————
संख्या 331/84–1–2011–23 बा0मा0–2010
लखनऊ, 01 अप्रैल, 2011
————————

अधिसूचना

प0आ0–242

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 01 सन् 2010) की धारा–53 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके,राज्यपाल केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (4) की अपेक्षानुार सरकारी अधिसूचना संख्या–216/84–1–2011–23 बा0मा0/2010, दिनांक 24 फरवरी, 2011 द्वारा गजट में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है :–

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2011 कही जाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2– जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 से है;

(ख) ''निर्देश मानक प्रयोगशाला'' का तात्पर्य अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी ऐसी प्रयोगशाला से है, जहां निर्देश मानक, द्वितीयक मानक और कार्यकारी मानक रखे जाते हैं;

(ग) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;

(घ) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम मे परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समुनिदेशित हैं।

निर्देश मानक 3– निर्देश मानक ऐसे स्थान में, ऐसी रीति से और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जैसी विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियमावली, 2011 के अधीन विहित की जाय।

द्वितीयक मानक 4–(1) प्रत्येक द्वितीयक मानक का सत्यापन किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति से और ऐसे नियतकालिक अन्तरालों पर किया जायेगा जैसी नियमावली के अधीन विहित की जायें और यदि उसे ऐसे सत्यापन पर अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप पाया जाय तो उसे निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा स्टाम्पित किया जायेगा अथवा प्रयोगशाला द्वारा सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

(2) द्वितीयक मानक ऐसे स्थान में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जैसा नियंत्रक द्वारा निर्देश दिया जाये।

कार्यकारी मानक 5 – (1) प्रत्येक कार्यकारी मानक का सत्यापन या तो किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित द्वितीयक मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति से और ऐसे नियतकालिक अन्तरालों पर जैसा कि नियमावली के अधीन विहित किये जायें, किया जायगा और यदि ऐसे सत्यापन पर अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप पाया जाय, तो उसे, यथास्थिति, प्रयोगशाला द्वारा स्टाम्पित किया जायेगा अथवा सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

(2) सत्यापित कार्यकारी मानक, विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

द्वितीयक मानक तुलाएँ 6–(1) द्वितीयक मानक तुलाओं का एक सेट प्रत्येक ऐसे स्थान पर रखा जायगा जहां द्वितीयक मानक बाट रखे जाते हैं।

(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, किस्में और विनिर्देश ऐसे होंगे जैसे विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित किये जायें।

(3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला एक वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय गुणवत्ताओं के भीतर सही कराने के लिये उसको निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा या नियंत्रक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिन्हें नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, समायोजित किया जायेगा।

IndiaCode

कार्यकारी मानक तुलाएं

7–(1)कार्यकारी मानक तुलाओं का एक सेट ऐसे प्रत्येक स्थान पर रखा जायगा जहां कार्यकारी मानक बाट रखे जाते हैं।

(2) ऐसी तुलाओं की संख्या, किस्में और विनिर्देश ऐसे होंगे जैसी विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित की जाय।

(3) प्रत्येक कर्यकारी मानक तुलाओं का एक वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जायगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसे विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित सुग्राहिता सीमाओं और अन्य मापकीय गुणवत्ताओं के भीतर निर्देश मानक प्रयोगशाला अथवा अन्य स्थान पर जहाँ राज्य सरकार द्वारा द्वितीयक मानक प्रयोगशाला अनुरक्षित की जाती है, के द्वारा, समायोजित किया जायेगा।

बाटों और मापों के भौतिक लक्षण, आकृति, संरच–नात्मक ब्योरे

8– प्रत्येक ऐसा बाट या माप जिसका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग किया जाता है या जो ऐसा उपयोग किये जाने के लिए आशायित है, भौतिक लक्षणों, आकृति, संरचनात्मक ब्योरों, सामग्री, कार्यनिष्पादन, सहृदयता और ऐसे ही अन्य ब्योरों के सम्बन्ध में अधिनियम या विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप होगा।

बुलियन बाटों, कैरट बाटों आदि का उपयोग

9–(1) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट बुलियन बांट से भिन्न किसी बाट का बुलियन के, जिसके अन्तर्गत बहुमूल्य धातु, मोती, स्वर्ण या रजत के आभूषण या अन्य वस्तुएं भी हैं, किसी संव्यवहार या संरक्षण में उपयोग नहीं किया जायेगा।

(2) कैरट बाट से भिन्न किसी बाट का बहुमूल्य रत्नों के किसी संव्यवहार मे उपयोग नहीं किया जायेगा।

(3)उप नियम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या संरक्षण के लिये केवल यथार्थता वर्ग 'क' या वर्ग 'ख'' के तुला दण्ड अथवा गैर–स्वचालित तौल यंत्र उच्च यथार्थता(वर्ग।।) या विशेष यथार्थता (वर्ग।) का ही प्रयोग किया जायेगा।

कतिपय मामलों में केवल बाटों या केवल मापों या केवल संख्याओं का उपयोग

10– **अनुसूची एक** में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले के सिवाय, प्रत्येक संव्यवहार, व्यवहार या संविदा में, या संरक्षण के लिए मात्रा की घोषणा :–

(क) यदि वस्तु ठोस, अर्ध ठोस, विसकोस या ठोस और द्रव का मिश्रण है तो वजन की इकाई के रूप में होगी;

(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है तो लम्बाई की इकाई के रूप में होगी;

(ग) यदि वस्तु का क्षेत्रीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो क्षेत्रफल की इकाई के रूप में होगी;

(घ) यदि वस्तु द्रव है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है, तो आयतन

की इकाई के रूप में होगी; या

(ड.)यदि वस्तु का विक्रय संख्या में किया जाता है तो संख्या की इकाई के रूप में होगी।

बाट और माप विनिर्माताओं, मरम्मत करने वालों और व्यवहारियों को लाइसेन्स देना

11(1)– बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यवहारी लाइसेंस जारी करने के लिये नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, **अनुसूची दो–क** में दिये गये समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा :

परन्तु विनिर्माता को किसी बाट या माप, जिसका विनिर्माण उसके स्वयं के द्वारा किया गया है और जिस राज्य मे विनिर्माण किया गया है उस राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य मे उपयोग किया जाता है, की मरम्मत करने के लिये किसी मरम्मतकर्ता लाइसेंस की आवश्यकता नही होगी, किन्तु विनिर्माता को मरम्मत करने से पूर्व इस बारे मे सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को, सूचित करना होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को स्वयं के स्वामित्व या अभिरक्षा मे रखे बाट या माप को निश्छल–भाव से स्वयं मरम्मत हेतु मरम्मतकर्ता लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यवहारी लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, लाइसेन्स के नवीकरण के लिये **अनुसूची दो–ख** में दिये गये समुचित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(3) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाला या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस **अनुसूची तीन** में दिये गये समुचित प्ररूप में होगा।

(4)[1] [किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाले या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस न्यूनतम एक से दस कैलेन्डर वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा और नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा **अनुसूची चार** मे यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के भुगतान पर एक से दस कैलेन्डर वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा]

(5) लाइसेंस मे संशोधन या लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये संदेय फीस वही होगी जो **अनुसूची चार** में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु **अनुसूची चार** में विनिर्दिष्ट पूर्ण दर पर अतिरिक्त फीस आवेदक द्वारा संदेय होगी यदि उसे लाइसेंस की समाप्ति के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन करने के लिए नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा अनुज्ञा दी जाय।

(6) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत अधिकारी **अनुसूची पाँच** में दिये गये प्ररूप में विनिर्माताओं, व्यवहारियों और मरम्मत करने वालों का एक लाइसेंस रजिस्टर अनुरक्षित करेगा ।

(7) अधिनियम और इस नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक विनिर्माता,

[1] [अधिसूचना सं0 456/84–1–2013–23बा0मा0–2010 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 के माध्यम से प्रतिस्थपित]

मरम्मतकर्ता एवं व्यवहारी, लाइसेंस की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार यथास्थित ऐसे कार्यशाला/उपस्कर/औजार/रजिस्टर आदि अनुरक्षित करेगा।

(8) अधिनियम और इस नियमावली के अधीन लाईसेंस प्राप्त प्रत्येक मरम्मतकर्ता, प्रत्येक लाइसेंस के लिये राज्य सरकार को ऐसी प्रतिभूति जमा करेगा जैसी **अनुसूची छः** मे विनिर्दिष्ट है।

(9) इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस, जहाँ लाइसेंसधारी द्वारा व्यवसाय किया जाता है, उस परिसर मे सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया या नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस का न तो विक्रय किया जा सकेगा और न ही हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

दिये गये लाइसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण

12 (1) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यदि युक्तियुक्त कारणो से उसका यह विश्वास हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये, नवीकृत किये गये या बनाये रखे गये किसी लाइसेंस के धारक ने लाइसेंस जारी किये जाने, नवीकरण किये जाने या बनाये रखने के किसी आवेदन–पत्र मे या उसके सम्बन्ध मे कोई विवरण दिया है, जो कि तथ्य–विशेष मे गलत या असत्य है, या अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमो के किसी उपबन्ध का उल्लघंन किया है, ऐसे लाइसेंस धारक के विरुद्ध कोई जाँच पूर्ण होने तक लाइसेंस निलम्बित कर सकता है :

परन्तु ऐसा लाइसेंस तब तक निलम्बित नही किया जायेगा, जब तक कि लाइसेंस धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु यह भी कि जहॉ इस उपनियम में निर्दिष्ट जॉच लाइसेंस के निलम्बन के दिनांक से तीन माह की अवधि के अन्दर पूर्ण नही होती है, वहॉ ऐसा निलम्बन उक्त अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगा।

(2) नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत किसी अधिकारी का, ऐसी किसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, के बाद यदि समाधान हो जाता है कि किसी लाइसेंस धारक ने उपधारा (1) मे निर्दिष्ट प्रकृति का कोई असत्य या गलत विवरण दिया है या उस उपनियम मे निर्दिष्ट किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है तो वह उस लाइसेंस को निरस्त कर सकता है :

परन्तु ऐसा लाइसेंस तब तक निरस्त नही किया जायेगा, जब तक कि लाइसेंस धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(3)प्रत्येक व्यक्ति जिसका लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है ऐसे निलम्बन के तत्काल बाद से ऐसे लाइसेंसधारी के रुप मे कार्य करना बन्द कर देगा और ऐसे लाइसेंसधारी के रुप मे तब तक व्यवसाय पुनः आरम्भ नही करेगा जब तक ऐसे निलम्बन का आदेश निष्प्रभावी न कर दिया जाय अथवा हो जाय।

(4)प्रत्येक लाइसेंसधारी जिसका लाईसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया गया है,

यथास्थिति ऐसे निलम्बन या निरस्तीकरण के बाद, ऐसे लाइसेंस को उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा लाइसेंस जारी किया गया था; अभ्यर्पित कर देगा।

(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, ऐसे निरस्तीकरण के दिनांक से तीस दिनो की अवधि के भीतर या नियंत्रक अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त कारण बताये जाने पर बढ़ायी गयी अवधि, जो कि तीन माह से अनधिक हो, के भीतर ऐसे बांटों और मापों का, जो निरस्तीकरण के दिनांक को उसके अधिकार, अभिरक्षा, या नियंत्रण मे है, निस्तारण करेगा, और ऐसा करने मे असफल रहने की स्थिति में नियंत्रक या उसके द्वारा लिखित रुप से इस निमित्त प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, उसको अभिग्रहीत और निस्तारित कर सकता है, और यथा विनिर्दिष्ट रीति से आगम का वितरण कर सकता है ।

विनिर्माताओं आदि द्वारा अभिलेख का रखा जाना

13– उक्त अधिनियम और इस नियमावली के अधीन बाट या माप का प्रत्येक लाईसेंस प्राप्त विनिर्माता या मरम्मत करने वाला या व्यवहारी अनुसूची सात में दिये गये समुचित प्रपत्र में अभिलेख और रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा ऐसी नियतकालिक सूचनायें/ विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय।

बाटों या मापों के सत्यापन के लिये नियत– कालिक अन्तराल

14.– बाटों या मापों के सत्यापन के लिए नियतकालिक अन्तराल वह होगा जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में विनिर्दिष्ट है।

IndiaCode

बाटों या मापों का सत्यापन और निरीक्षण

15.– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन/पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित है :

परन्तु जहां कोई बाट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता है या हटाया नहीं जाना चाहिये, वहां वह व्यक्ति, जो ऐसे बाट या माप का उपयोग कर रहा है, उस दिनांक से, जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित हो कम से कम तीस दिन पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(2) जहां कोई बांट या माप ऐसा है कि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिये, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे बाट या माप की अवस्थिति के स्थान पर उसके सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपयोक्ता ऐसी सुविधायें देगा जैसा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(4) सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बाट या माप स्वयं में पूर्ण होगा।

(5) प्रत्येक बाट या माप साफ–सुथरी हालत में सत्यापित किया जायगा और यदि

आवश्यक हुआ तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी स्वामी या उपयोक्ता से उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा।

(6) कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी, किसी बाट या माप का, जिसका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित है या सम्भाव्य है, निरीक्षण और परीक्षण करने के लिये अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक भू–गृहादि का, नियम 14 में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान यथासम्भव बार–बार निरीक्षण करेगा।

(7) विधिक माप विज्ञान अधिकारी बाट या माप पर लगाये गये स्टाम्प को मिटा देगा, यदि निरीक्षण के समय पाया जाता है कि–

(क) कोई बाट या माप जिसका पुनः सत्यापन होना था, पुनः सत्यापन के लिये प्रस्तुत नही किया गया।

(ख) कोई बाट या माप, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरूप नही है :

परन्तु जहाँ विधिक माप विज्ञान अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे बाट या माप मे त्रुटि या अशुद्धि ऐसी नही है कि स्टाम्प मिटाया जाना तत्काल आवश्यक है, तो वह बाट या माप मे पायी गयी त्रुटि या अशुद्धि की सूचना उपयोक्ता को देगा और उपयोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो आठ दिनो से अधिक नही होगा, त्रुटि या अशुद्धि को हटाने के लिये कहेगा और –

(एक) यदि उपयोक्ता उक्त अवधि मे त्रुटि या अशुद्धि को हटाने मे असफल रहता है तो स्टाम्प मिटा देगा, या

(दों) यदि त्रुटि या अशुद्धि को इस प्रकार हटा दिया जाता है कि वह बाट या माप, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरूप हो जाय तो वह ऐसे बाट या माप का सत्यापन और स्टाम्पन करेगा।

स्पष्टीकरण :– किसी बाट या माप पर स्टाम्प का मिटाया जाना, अधिनियम के प्राविधानो के अनुसार विधिक माप विज्ञान अधिकारी के ऐसे बाट या माप को अभिग्रहीत करने के अधिकार को समाप्त या कम नही करेगा।

बाटों या मापों को स्टाम्पित करना

16.– (1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, यदि जाँच और सत्यापन के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है तो प्रत्येक बाट या माप को नियंत्रक द्वारा दी गई एक ही प्रकार की, डिजाइन की ऐसी स्टाम्प से स्टाम्पित करेगा, जिसमें प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जो उसे स्टाम्पित करता है, आवंटित संख्यांक दिया हुआ होगा :

परन्तु, यदि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वांछनीय या साध्य नहीं है तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा कि नियंत्रक द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा निदेश दिया जाय।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष की तिमाही भी, सिवाय उस दशा के जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना असाध्य हो, चिन्हांकित करेगा।

स्पष्टीकरण – कोई वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जायगा जिसमें से प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च मास की होगी जिसे 'क' से चिन्हित किया जायेगा, द्वितीय तिमाही अप्रैल, मई और जून मास की होगी जिसे 'ख' से चिन्हित किया जायेगा, तृतीय तिमाही जुलाई, अगस्त और सितम्बर मास की होगी जिसे 'ग' से चिन्हित किया जायेगा और चतुर्थ तिमाही अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी जिसे 'घ' से चिन्हित किया जायेगा ।

(3) सत्यापन और स्टाम्पन पूरा होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी **अनुसूची आठ** में दिये गये प्रपत्र में सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(4)जहां कोई सत्यापन प्रमाण–पत्र खो जाय, या नष्ट हो जाय, वहां सत्यापन प्रमाण–पत्र का धारक सत्यापन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा जिसने प्रमाण–पत्र जारी किया था। प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन–पत्र के साथ दस रूपये की फीस संलग्न होंगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करेगा जिस पर ''द्वितीय प्रति'' चिन्हित होगा।

सत्यापन के लिए फीस

17.–(1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए संदेय फीस वही होगी जो **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट है।

(2) यदि बाट या माप के उपयोक्ता के अनुरोध पर सत्यापन, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय से भिन्न किसी भू–गृहादि पर किया जाता है तो **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायगी और बाट या माप का उपयोक्ता, भू–गृहादि का निरीक्षण करने के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा उपगत व्यय का, जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानक और अन्य उपकरण के परिवहन और उसकी उठाई–धराई का व्यय भी है, भुगतान भी करेगा जो कम से कम एक सौ रूपये होगा।

परन्तु निम्नलिखित के यथावत सत्यापन और स्टाम्पन के लिए कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(i) पेट्रोलियम पदार्थों एवं अन्य द्रवो के लिये यान की टंकी (वेहिकिल टैंक), पानी से भिन्न अन्य द्रवो के मीटर (फ्यूल डिस्पेन्सर, द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूध डिस्पेन्सर), सम्पीड़ित (कम्प्रेस्ड) प्राकृतिक गैस डिस्पेन्सर, गैर–स्वचालित तौल यंत्र यथा वेब्रिज, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग यंत्र, स्वचालित रेल वेब्रिज, स्वचालित असतत् योगीकरण तौल यंत्र, और ऐसे अन्य बाट या माप जिन्हे उनके स्थान से हटाया नही जा सकता है, और हटाया नहीं जाना चाहिए।

(ii) ऐसे बाट या माप के विनिर्माता या व्यवहारी के भू–गृहादि में बाट या माप।

(3) यदि कोई बाट या माप, स्टाम्प की विधिमान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है तो **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट दर की आधी दर पर अतिरिक्त फीस, वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए संदेय होगी।

(4) विनिर्माता या व्यवहारी के स्टाक में किसी बाट या माप के, उस दिनांक से जब उस पर अन्तिम बार स्टाम्पन किया गया था, नियम–14 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनःस्टाम्पन के लिये कोई फीस संदेय नही होगी, बशर्ते कि मूल स्टाम्प मिटा न दिया गया हो।

(5) कोई बाट या माप, जिसे सत्यापन/निरीक्षण पर ठीक न पाया जाय समायोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को उसमें पायी गई त्रुटियों की, नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में जानकारी देते हुए, और उन त्रुटियों को सात दिन से अनधिक अवधि के भीतर दूर करने की उससे अपेक्षा करते हुए लौटा दिया जायगा। जब आवश्यक समायोजन कर दिया गया हो, तब ऐसे बांट या माप का **अनुसूची नौ** में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान कर दिये जाने पर सत्यापन किया जायगा और यदि ठीक पाया जाय तो उसे स्टाम्पित किया जायगा।

फीस का संग्रहण और उसका कोषागार में जमा किया जाना

18. –(1) सत्यापन या पुनः सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विधिक माप विज्ञान अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को उसके द्वारा संदेय फीस की सूचना देगा और जैसा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया जाय उसी रीति से उसे प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रसीद जारी करेगा, ऐसी रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगीः

परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस नियमावली के अधीन संदेय फीस की वसूली ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी नियंत्रक द्वारा निर्देशित की जाय।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसे दिन प्रतिदिन भरा जायगा और उसमें उस दिन के दौरान संग्रह की गई फीस और अन्य प्रभार की धनराशि दिखायी जायगी।

(3) सप्ताह के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये समस्त भुगतान, सरकारी कोषागार में समुचित ''लेखा शीर्षक'' के अधीन ऐसे दिनांकों को या दिवसों में जमा किये जायेंगे जैसा नियंत्रक द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय और उनकी रसीद प्राप्त की जायगी और उस आशय की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जायगी।

अभिग्रहीत बाटों, मापों आदि का निस्तारण

19.–(1) कोई असत्यापित बाट या माप उस व्यक्ति को, जिससे ऐसा बाट या माप अभिग्रहीत किया गया था, वापस कर दिया जायेगा यदि वह व्यक्तिअभिग्रहीत किये जाने के पन्द्रह दिनो के अन्दर स्टाम्पन की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात पुनःसत्यापन के लिये संदेय विहित फीस, जिसमे अतिरिक्त फीस समाहित है, का भुगतान कर उसका सत्यापन और स्टाम्पन करा लेता है।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिगृहीत और निरूद्ध किसी ऐसे बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु को जिसे किसी न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय होना है, विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात विधिक माप विज्ञान अधिकारी उसे अपने कब्जे में ले लेगा और न्यायालय के आदेशानुसार व्यवहृत करेगाः

परन्तु न्यायालय के आदेशों के अभाव में, ऐसे बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु को उसी प्रकार व्यवहृत किया जायगा जैसा नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और उसकी सामग्री को बेच दिया जायगा और विक्रय आगम सरकार को जमा किये जायेंगे।

(3) यदि अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिगृहीत कोई माल, शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील है तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी अपने पास या अपराध स्थल के निकट उपलब्ध तौल या माप के उपकरण पर, जो सत्यापित है माल की तौल या माप करायेगा और माल की वास्तविक तौल या माप की इस प्रयोजन के लिये नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रविष्ट करेगा और व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसने अपराध किया है, का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। प्रश्नगत माल, यथास्थिति व्यापारी या क्रेता को, वापस कर दिया जायगाः

परन्तु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध किया है) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के ऐसे इन्कार करने के समय उपस्थित कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। व्यापारियों को वापस किये गये माल के सम्बन्ध मे वह व्यापारी वचन देगा कि वह त्रुटिपूर्ण माल का विक्रय त्रुटि का सुधार किये बिना नही करेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत माल किसी पैकेज मे रखा गया है और पैकेज मिथ्या है अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है और ऐसे पैकेज में माल शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील है, वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी, यथासम्भव, उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पैकेज के माल का निस्तारण कर सकता हैः

परन्तु नियंत्रक को यह विनिश्चय करने का अन्तिम प्राधिकार होगा कि अभिग्रहीत और निरुद्ध किया गया माल शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील है अथवा नही ।

(5) जहां अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(1) के अधीन अभिग्रहीत माल शीघ्रतया या प्रकृत्याक्षयशील नहीं है वहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी, व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को (जिसने अपराध किया है) ऐसे अभिग्रहण की सूचना देने के पश्चात् पैकेज को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनार्थ रोके रख सकता है।

(6) उप नियम (4) एवं (5) के अधीन निर्दिष्ट माल, जो किसी न्यायालय की कार्यवाहियों के विषय नही होने हैं, के सम्बन्ध मे अभिग्रहण के साठ दिनो की समाप्ति के पश्चात ऐसी कार्यवाही की जायेगी जैसा कि नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें।

सम्यक रुप से स्टाम्पित बाट या माप की

20.—(1) कोई बाट या माप, जो इस नियम के अधीन सम्यक रुप से सत्यापित और स्टाम्पित है, या ऐसा किया हुआ समझा जाता है, उस राज्य के भीतर प्रत्येक स्थान पर जिस राज्य में यह स्टाम्पित किया गया है, अधिनियम द्वारा या

विधिमान्यता

उसके अधीन स्थापित मानको के अनुरुप समझा जायेगा जब तक कि निरीक्षण या सत्यापन पर यह नही पाया जाता कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरुप नही रह गया है।

(2) किसी बाट या माप को, जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक रुप से सत्यापित और स्टाम्पित है, या ऐसा किया गया समझा जाता है, मात्र इस कारण से पुनःस्टाम्पित किया जाना अपेक्षित नही होगा कि उसका उपयोग राज्य के भीतर उस स्थान से भिन्न, जहाँ इसे मूल रुप से सत्यापित और स्टाम्पित किया गया था, किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है :

परन्तु जहाँ कोई सत्यापित बाट या माप जो एक स्थान पर स्थापित है, को खोलकर दूसरे स्थान पर पुनःस्थापित किया जाता है, तो ऐसे बाट या माप का इस बात के रहते हुए भी कि ऐसा बाट या माप नियतकालिक पुनःसत्यापन हेतु देय नही हुआ है, तब तक उपयोग नही किया जायेगा जब तक ऐसे बाट या माप का पुनःसत्यापन और स्टाम्पन न करा लिया जाए।

(3) जहाँ किसी सत्यापित बाट या माप की लाइसेंस प्राप्त मरम्मतकर्ता द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा, जिसके स्वामित्व या अधिकार में यह है, मरम्मत की जाती है वहां ऐसे बांट या माप का, इस बात के रहते हुए भी कि ऐसा बाट या माप नियतकालिक पुनःसत्यापन हेतु देय नही हुआ है, तब तक उपयोग नही किया जायेगा जब तक ऐसे बाट या माप का पुनःसत्यापन और स्टाम्पन न करा लिया जाए।

विधिक माप विज्ञान अधिकारियों की अर्हतायें

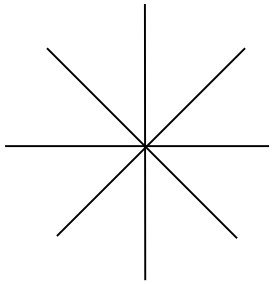
21.—(1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अर्हतायें वही होंगी जैसा विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में विनिर्दिष्ट हैं।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी के लिए कार्यकारी मानक/द्वितीयक मानक उपस्कर आदि की आपूर्ति सम्बन्धी उपबन्ध

22.—(1) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकारी/द्वितीयक मानक बाट, कार्यकारी/द्वितीयक मानक तुलाएं और ऐसे अन्य उपस्कर, जिसके अन्तर्गत तौल और माप के ऐसे यन्त्र भी है जो नियंत्रक द्वारा समय समय पर अनुमोदित किये जाय, दिये जायेंगे।

(2) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ऐसे ठप्पे (डाइयां), पंच, पेपर सील/स्टीकर और ऐसे अन्य उपस्कर दिये जायेंगे जो सत्यापन स्टाम्प लगाने के लिये आवश्यक हों, जिनकी डिजाइन और संख्या नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

(3) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को स्टाम्प मिटाने के लिए नीचे यथा निर्दिष्ट आठ नोक वाले तारे के उपयुक्त आकार के पंच दिये जायेंगे।



बाटों, मापों आदि के उपयोग से संबंधित उपबंध

23.–(1)अपने भू–गृहादि में किसी संव्यवहार में डंडी वाली तराजू का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस तराजू को स्टैण्ड पर या हुक द्वारा चेन पर लटकायेगाः

परन्तु यह उपनियम फेरी लगाकर बेचने वालों पर लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक बाट या माप का साफ सुथरी हालत में और रोशनी की समुचित व्यवस्था में उपयोग किया जाएगा।

(3) किसी ऐसे बाट या माप को जो यथावत् सत्यापित और स्टाम्पित किया गया है, सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना उसके मूल स्थान से उखाड़ा और हटाया नही जाएगा।

(4) तौल के किसी उपकरण की यथार्थता की समुचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये उपयोक्ता, उपकरण की क्षमता के दसवें भाग अथवा एक टन, दोनो मे जो भी कम हो, के बराबर सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टाम्पित बांट प्रत्येक तौल के उपकरण के स्थान पर रखेगा और उपभोक्ता भी तौल के उपकरण की यथार्थता की जांच कर सकता है :

परन्तु, नियंत्रक उस व्यापार भू–गृहादि में जहां तौलने के एक से अधिक उपकरण है, बनाये रखे जाने वाले कुल सत्यापित और स्टाम्पित बाटों की संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) पेट्रोल/डीजल पम्पों से समुचित वितरण सुनिश्चत करने के लिये फुटकर व्यवहारी पाँच लीटर/दस लीटर का सत्यापित क्षमता वाला माप, अपने परिसर मे रखेगा और समुचित वितरण को सुनिश्चत करने के लिये प्रतिदिन पम्प से निकासी की जाँच करेगा । किसी कम वितरण की दशा मे व्यवहारी तुरन्त पम्प से वितरण रोक देगा और सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पम्प के पुनःअंशशोधन (रिकैलिबरेशन) के लिये सूचित करेगा।

सत्यापन प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत किया जाना

24– वह व्यक्ति जिसे सत्यापन प्रमाण–पत्र जारी किया गया है उस प्रमाण–पत्र को भू–गृहादि में जहां ऐसे बाट, माप या तौल या माप–उपकरण जिनसे प्रमाण–पत्र सम्बन्धित है, उपयोग में लाये जा रहे हैं, किसी सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा।

परन्तु फेरी लगाकर बेचने वाले की दशा में प्रमाण–पत्र उस व्यक्ति के पास रहेगा।

परन्तु यह और कि यान टैंक की दशा में सत्यापन प्रमाण–पत्र यान के साथ रहेगा।

नियमो के उल्लंघन के लिए शास्ति

25.– जो कोई इस नियमावली के किसी ऐसे उपबन्ध का, जिसके उल्लंघन के लिए किसी दण्ड का अधिनियम में पृथक् से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से दण्डित होगा, जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है। जब कभी अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों मे विरोध हो तो अधिनियम, नियमावली पर अभिभावी होगा।

अपील का प्ररूप

26.–(1) अधिनियम और इस नियमावली के अधीन प्रत्येक अपील, **अनुसूची दस** में दिये गये प्ररूप में की जायगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति उसके साथ संलग्न रहेगी।

(2) राज्य सरकार को अपील करने के लिये रु0 500.00 की फीस का, एवं नियंत्रक को अपील करने के लिये रु0 200.00 की फीस का नगद या उक्त धनराशि का कोर्ट फीस टिकट लगाकर, आवेदन के साथ संलग्न कर भुगतान किया जायेगा।

अपराधों के प्रशमन के लिए फीस

27– अधिनियम से आच्छादित अपराधों के प्रशमन हेतु फीस वही होगी जैसा कि **अनुसूची–11** में विहित है।

अनुसूची–एक

[नियम 10 देखिये]

नियम 10 में निर्दिष्ट अपवाद

1– निम्नलिखित वस्तुएँ भार, माप या संख्या द्वारा बेची जा सकती हैं, जैसा कि वस्तु के सामने दिया गया है।

क्रम संख्या	वस्तु	क्या घोषणा बाट, माप या संख्या के रूप में या उनमें से दो या अधिक के रूप मे अभिव्यक्त की जानी है।
1	ऐरोसाल उत्पाद	भार
2	द्रव के रूप में ऐसिड	भार या आयतन
3	संपीडित या द्रवित गैस (किन्तु द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं)	भार और समतुल्य आयतन, उल्लिखित तापमान और दबाव पर
4	मक्खन(जिसके अन्तर्गत मूंगफली मक्खन भी है), पनीर दही, घी	भार
5	विद्युत केबिल	लम्बाई या भार
6	विद्युत तार	लम्बाई या भार
7	बाड़ लगाने के लिए तार	लम्बाई या भार
8	सुगन्ध रहित केश तेल	भार या आयतन
9	फल और साग भाजी	संख्या या भार
10	भट्टी तेल	भार या आयतन
11	अलसी का तेल और अन्य वनस्पति तेल	भार या आयतन
12	भारी अवशिष्ट ईंधन तेल	भार
13	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
14	मधु, माल्ट–सार, गोल्डन सिरप ट्रीकल	भार
15	आइसक्रीम और अन्य तत्सदृश हिमशीतित उत्पाद	भार या आयतन
16	द्रव रसायन	भार या आयतन
17	द्रवित पेट्रोलियम गैस	भार
18	कील, लकड़ी के पेंच	संख्या या भार
19	पेन्ट(पेस्ट पेन्ट या ठोस पेन्ट से भिन्न)वार्निश और वार्निश स्टेन्स, इनेमल	आयतन
20	पापड़	संख्या और भार
21	पेस्ट पेन्ट / ठोस पेन्ट	भार
22	रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मधुर निर्मितियां	भार
23	तैयार वस्त्र	संख्या और आकार
24	सभी प्रकार के सॉस	भार
25	टायर और ट्यूब	संख्या
26	सूत	भार या सूत की लम्बाई

IndiaCode

अनुसूची–दो (क)

[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररूप–ठ ड –1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र का प्ररूप]

सेवा में,

क्रम सं0	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1.	2	3

1. संबंधित विनिर्माता का नाम जिसके लिये लाइसेंस वांछित है–

2 संबंधित का पूरा पता। यदि परिसर स्वामित्व / किराये पर / पट्टे पर लिया गया है तो आवश्यक अभिलेख संलग्न करें।

3 कर्मशाला / कारखाना के स्थापना का दिनांक–

4 स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक)(निदेशकों) का (के) अपने पिता / पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)

5. कारखाने / दुकान / प्रतिष्ठान / नगरपालिका व्यवसाय लाइसेंस का रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और वर्तमान संख्या–

6. वर्तमान में विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति–

7. विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बाटों और मापों की किस्म, अर्थात्
 (एक) बाट
 (दो) माप
 (तीन) तौल के उपकरण
 (चार) माप के उपकरण
 प्रत्येक मामले में ब्योरे सहित–

8. नियोजित / नियोजन के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या
 (एक) कुशल
 (दो) अर्ध कुशल
 (तीन) अकुशल
 (चार) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ

9. विनिर्मित किये जाने वाले बाटों और मापों पर ठप्पा लगाए जाने के लिए आशायित मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह–

10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उपस्कर जो बाटों, मापों आदि के विनिर्माण के लिये उपयोग में लाये जाते हैं, के ब्योरे –

11. संधानशाला / कर्मशाला मे सुविधाओं की व्यवस्थाओं का विवरण। स्वामित्व में, या दीर्घकालिक पट्टे पर है, आदि–

IndiaCode

12. महत्वपूर्ण उपांगों आदि की इस्पात ढलाई और कठोरता परीक्षण के लिए सुविधायें या अन्य संसाधन–
13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता–
14. सरकार या वित्तीय संस्थान से लिये गये ऋण का ब्योरा।
 यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए –
15. बैंकरों का नाम, यदि कोई हो –
16 वैट/बिक्रीकर पंजीकरण संख्या/सी0एस0टी0संख्या(केन्द्रीय विक्रय कर संख्या)/व्यवसाय कर पंजीकरण संख्या/आय कर पंजीकरण संख्या –
17. क्या आपने इसके पहले भी विनिर्माता लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ? यदि हाँ, तो कब और क्या परिणाम हुआ ?
18. (क) क्या विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित मद (मदों) को राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर अथवा दोनो जगह विक्रय किया जायेगा?
 (ख) भारत सरकार से प्राप्त नमूना अनुमोदन का विवरण।
 (ग) आप अपने उत्पादों के निरीक्षण नमूने, कब प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके लिये लाइसेंस वांछित है?

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/ हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन की प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण का दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

स्थान.....

दिनांक.....

निरीक्षण अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

लाइसेंस प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है:

लाइसेंस संख्या.....

.....तक विधिमान्य।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची–दो (क)

[नियम 11 (1) देखिये **]**

प्ररूप–ठद–1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के मरम्मतकर्ताओं के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन]

IndiaCode

सेवामें,

क्रम संख्या	आवेदकों द्वारा भरा जायेगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. संबंधित लाइसेंस चाहने वाले का नाम
2. कर्मशाला का पूरा पता
3. (क) यदि परिसर स्वामित्व मे/किराये पर/पट्टे पर लिया गया है तो आवश्यक अभिलेख संलग्न करें।
 (ख) स्थापना का दिनांक
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–
5. दुकान/प्रतिष्ठान/चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और दिनांक
6. व्यवसाय कर/आयकर पंजीकरण संख्या आदि, यदि कोई है
7. मरम्मत किये जाने वाले प्रस्तावित बांटो और मापों की किस्म
8. क्षेत्र जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं
9. इस कार्य क्षेत्र में अपना पूर्व अनुभव बतायें

10. नियोजित/नियोजन के लिये प्रस्तावित कुशल कर्मचारियों की संख्या
 (एक) कुशल
 (दो) अर्ध कुशल
 (तीन) अकुशल
 (चार) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी
11. उपलब्ध मशीनरी/औजारों/ उपस्करों का विवरण
12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता है ?
13. क्या आपके पास ऋण/परीक्षण बांट आदि का पर्याप्त स्टाक है ? कृपया उसका ब्योरा दीजिये
14. क्या आपने इसके पूर्व मरम्मतकर्ता लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ? यदि हां, तो कब और उस आवेदन का क्या हुआ ?

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

IndiaCode

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन की प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन की क्रम–संख्या :

निरीक्षण का दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

स्थान.....

दिनांक.....

निरीक्षण अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

लाइसेंस प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

लाइसेंस संख्या.....

.....तक विधिमान्य

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची–दो (क)

[नियम 11 (1) देखिये]

प्ररूप–ठघ–1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के व्यवहारियों के रूप में लाइसेंस के लिए आवेदन]

सेवा में,

_____,

क्रम संख्या	आवेदक द्वारा भरा जायेगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. लाइसेंस चाहने वाले अधिष्ठान / दुकान / व्यक्ति का नाम

2. अधिष्ठान आदि का पूरा पता

3. स्थापना का दिनांक

4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता / पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–

5. दुकान / प्रतिष्ठान / चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की संख्या और दिनांक

6. वर्तमान में विक्रय किए गए / विक्रय के लिए प्रस्तावित बांटों और मापों की श्रेणी–

7. वैट / सी0एस0टी0(केन्द्रीय विक्रय कर संख्या) / व्यवसाय कर / आय कर / बिक्री कर पंजीकरण की संख्या–

8. क्या आप बाटों आदि का राज्य / देश से बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति का स्रोत बताइए। (विनिर्माता के व्यापार चिन्ह / मोनोग्राम के ब्योरे और उसकी लाइसेंस संख्या दीजिए) और निम्नलिखित प्रस्तुत कीजिये–

IndiaCode

(क) बाटों और मापों के आयातकर्ता की पंजीकरण, यदि कोई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा भारत मे आयातित नमूने का अनुमोदन।

9. क्या आपने कभी इस राज्य में या अन्यत्र व्यवहारी के लाइसेंस के लिए पहले भी आवेदन किया है ? यदि हां तो ब्यौरा दीजिए।

———————————————————————————————————————

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/ हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिऐ सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अनुसूचित लाइसेंस फीस लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

IndiaCode

स्थान.....
दिनांक.....

. हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाय

आवेदन की प्राप्ति का दिनांक :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण का दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति : निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

————————————————

लाइसेंस प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

लाइसेंस स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

लाइसेंस संख्या.....

.....तक विधिमान्य

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची–दो (ख)

[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररूप–ठड–2

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में लाइसेंस की नवीकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

———————————————

———————————————

———————————————,

क्रम संख्या	आवेदकों द्वारा भरा जायेगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. संबंधित विनिर्माता का नाम और पूरा पता, जिसके लिये लाइसेंस का नवीकरण वांछित है–

2. विनिर्माता लाइसेंस संख्या–

3. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–

4. (क) ऐसे बाटों और मापों की किस्म जिनका स्वीकृत लाइसेंस के अनुसार विनिर्माण किया जाता है–

 (ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं ?

5. आपके द्वारा विनिर्मित बाटों और मापों पर प्रयुक्त मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह–

6. कर्मशाला में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा–

7. विगत पाँच वर्षो में उत्पादन और विक्रय का विवरण–

8. दुकान/अधिष्ठान पंजीकरण संख्या का दिनांक और संख्या–

9. वैट/ बिक्री कर/सी0एस0टी0(केन्द्रीय विक्री कर)/आय कर की पंजीकरण संख्या–

IndiaCode

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/ हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिऐ सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक.....को उप कोषागार/बैंक में.....रूपये (रूपये.....मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

IndiaCode

अनुसूची–दो (ख)

[नियम 11 (2) देखिये **]**

प्ररूप–ठद–2

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों की मरम्मत करने वाले के रूप में लाइसेंस की नवीकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

———————————

———————————

———————————,

क्रम संख्या	आवेदकों द्वारा भरा जायेगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. लाइसेंस का नवीकरण चाहने वाले संबंधित मरम्मतकर्ता व्यक्ति का नाम और पूरा पता–

2. मरम्मतकर्ता लाइसेंस संख्या–

3. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड

कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के)
अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)

4. वर्तमान दुकान/अधिष्ठान/नगरपालिका व्यापार लाइसेंस का पंजीकरण संख्या और दिनांक–

5. वैट/ बिक्री कर/सी0एस0टी0(केन्द्रीय विक्री कर संख्या)/व्यवसाय कर/आय कर की पंजीकरण संख्या–

6. (क) ऐसे बाटों और मापों की किस्में जो स्वीकृत लाइसेंस के अनुसार मरम्मत की जाती है–

(ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं?

7. क्षेत्र, जिसमें आप क्रियाशील हैं–

8. क्या आपके पास ऋण/परीक्षण बाटों आदि का पर्याप्त स्टाक है–

9. स्टाम्पन की विशिष्टिताओं सहित ब्योरे दीजिए–

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिऐ सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक.....को उप कोषागार/बैंक में.....रूपये (रूपये.....मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर और पदनाम

IndiaCode

अनुसूची–दो (ख)

[नियम 11 (2) देखिये]

प्ररूप–ठघ–2

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के व्यवहारी के रूप में लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

———————————————

———————————————

———————————————,

क्रम संख्या	आवेदकों द्वारा भरा जायेगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. लाइसेंस का नवीकरण चाहने वाले अधिष्ठान / दुकान / व्यक्ति का नाम–

2. व्यवहारी की लाइसेंस संख्या–

3. स्थापना का दिनांक–

4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों और लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता / पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)

5. दुकान / अधिष्ठान / चालू नगरपालिका व्यापार लाइसेंस की रजिस्ट्रीकरण संख्या और दिनांक–

6. वर्तमान में बेचे गए बांट और मापों की श्रेणियॉ–

7. वैट / बिक्री कर / सी0एस0टी0(केन्द्रीय विक्री कर / व्यवसायिक कर / आय कर की रजिस्ट्रीकरण संख्या–

8. क्या आप राज्य / देश के बाहर के स्थानों से बाट और माप आदि का आयात करने का इरादा करते हैं? यदि हां, तो राज्य (राज्यों) / देश (देशों) से आपूर्ति के स्त्रोतों को इंगित करें।
(विनिर्माता के व्यापार चिन्ह / मोनोग्राम और उसकी लाइसेंस संख्या का विवरण दीजिए)

———————————————————————————————————————

IndiaCode

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक.....को उप कोषागार/बैंक में..... रूपये (रूपये.....मात्र) की अनुसूचित लाइसेंस फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न हैं।

ऊपर दी गई सभी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।
स्थान.....

दिनांक.....
.

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची–तीन
[नियम 11 (3) देखिये]
लाइसेंस देने का प्ररूप
प्ररूप– ठड–3
उत्तर प्रदेश सरकार
विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय
बाटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों के विनिर्माण के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या

वर्ष

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा
———————————————————————————————————————
—— को
(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पता) निम्नलिखित के विनिर्माण के लिये लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।
———————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————
(यहॉ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा विनिर्मित किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए————————.————————————————
————————————————————————.में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस.....सेतक विधिमान्य है।

4. विनिर्माता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

5. विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम निम्नलिखित रूप में है :–
———————————————————————————————————————

(मोहर)

स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश

टिप्पणी – फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा–1 में दिये जाने चाहिए।

लाइसेंस की शर्तें

1– वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाए–

(क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के समस्त सुसंगत उपबन्धों और नियमों का अनुपालन करेगा।

(ख) समय–समय पर संशोधित अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उसका पक्ष लेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू–गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण की स्थिति में लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा।

(च) यथास्थिति, विनिर्मित और राज्य मे प्रयोग के उद्देश्य के लिये बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों की बिक्री के पूर्व सत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन, लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

2– इस लाइसेंस के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

IndiaCode

नवीकरण प्रविष्टियाँ

चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

IndiaCode

अनुसूची–तीन

[नियम 11 (3) देखिये **]**

लाइसेंस देने का प्ररूप

प्ररूप– ठद–3

उत्तर प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की मरम्मत के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या वर्ष

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————को

(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पता) निम्नलिखित की मरम्मत के लिये लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

(यहॉ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा मरम्मत किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए ———————————————————

———————————————————————————————————में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस.....सेतक विधिमान्य है।

4. मरम्मतकर्ता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

5. पक्षकार को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बाटों, मापों, तौल या माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिये लाइसेंस दिया जाता है।

———

(मोहर)

स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
उत्तर प्रदेश

टिप्पणी – फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा–1 में दिये जाने चाहिए।

IndiaCode

लाइसेंस की शर्तें

1– वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है–

(क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के समस्त सुसंगत उपबन्धों और नियमों का अनुपालन करेगा।

(ख) अधिनियम या तत्समय प्रव्त्त नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उसका पक्ष लेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू–गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण की स्थिति में लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा।

(च) (i) सम्यक् रूप से मरम्मत किये गये यथास्थिति बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को उपयोक्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14 मे विनिर्दिष्ट सत्यापन ओर स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ii) बाटों, मापों या तौल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन प्राप्त होने के दिनांक के पूर्व ठीक/मरम्मत किया जाता है और जहाँ इस प्रक्रिया के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प मिट जाती है, अलग हो जाती है या टूट जाती है, उसे उपयोक्ता को देने के पूर्व सम्यक रुप से मरम्मत करते हुए पुनःसत्यापन और स्टाम्पन के लिये विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(छ) नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।

2— इस लाइसेंस के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

नवीकरण
प्रविष्टियॉ

चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....दिनांक वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

IndiaCode

अनुसूची—तीन
(नियम 11 (3)
देखिये)
लाइसेंस देने का प्ररूप
प्ररूप—ठघ—3
उत्तर प्रदेश
सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के व्यवहारी के लिये लाइसेंस

लाइसेंस संख्या..... वर्ष.....

1. विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्द्वारा
———————————————————————————————————
———————————————————————————————— को
(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पता) निम्नलिखित में व्यवहार के लिये लाइसेंस स्वीकृत करते हैं।
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
(यहॉ उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्योंरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा व्यवहार किये जाने के लिऐ लाइसेंस दिया जाता है।)

2. यह लाइसेंस ऊपर नामित पक्षकार के लिए ——.में अवस्थित उसकी भू–गृहादि के सम्बन्ध में विधिमान्य है।

3. यह लाइसेंस.....सेतक विधिमान्य है।

4. व्यवहारी नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।

(मोहर)

दिनांक

स्थान

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान ।
उत्तर प्रदेश

टिप्पणी – फर्म की स्थिति में उसका नाम और कारोबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा–1 में दिये जाने चाहिए।

IndiaCode

लाइसेंस की शर्तें

1– वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह लाइसेंस जारी किया जाता है–

(क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के समस्त सुसंगत उपबन्धों और नियमों का अनुपालन करेगा।

(ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उसका पक्ष लेगा।

(ग) इस लाइसेंस को उस भू–गृहादि के जिससे इसका सम्बन्ध है किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा।

(घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाय।

(ङ) व्यवसाय के बन्द होने और/या लाइसेंस के निरस्तीकरण की स्थिति में लाइसेंस अभ्यर्पित करेगा।

(च) लाइसेंस की विधिमान्यता की समाप्ति के दिनांक से तीस दिन पूर्व नियमों की अपेक्षानुसार इस लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(छ) किसी अमानक बाट या माप को न तो बेचेगा, न बिक्री के लिए प्रस्ताव करेगा, न प्रदर्शित करेगा, और न कब्जे में रखेगा।

2– इस लाइसेंस के जारी करने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाय, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

नवीकरण प्रविष्टियॉ

चालू संख्या.....दिनांक

वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।

(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

चालू संख्या.....दिनांक

वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।

(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

चालू संख्या.....दिनांक

वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।

(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

चालू संख्या.....दिनांक

वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।

(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

चालू संख्या.....दिनांक

वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।

(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

चालू संख्या.....दिनांक

वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।

(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

IndiaCode

अनुसूची–4

[नियम 11 (4) और (5)देखिये **]**

उत्तर प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों और मापों के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं या व्यवहारियों के लिए लाइसेंस और नवीकरण फीसः

(1) लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस नवीकरण के लिए–	
(एक) विनिर्माता	रूपये 500.00 प्रति वर्ष
(दो) मरम्मतकर्ता	रूपये 100.00 प्रति वर्ष
(तीन) व्यवहारी	रूपये 100.00 प्रति वर्ष
(2) लाइसेंस मे परिवर्तन	रूपये 50.00
(3) लाइसेंस की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये	रूपये 10.00

अनुसूची–पाँच

[नियम 11 (6) देखिये **]**

उत्तर प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

IndiaCode

बाटों, मापों, तौल/माप के उपकरणों के लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं/मरम्मतकर्ताओं/व्यवहारियों का रजिस्टर

.....का कार्यालय

लाइसेंस संख्या	जारी करने/नवीकरण का दिनांक	विनिर्माता/मरम्मतकर्ता /व्यवहारी का नाम और पूरा पता	स्थान जहां कर्मशाला /कारखाना स्थित है	विनिर्मित/मरम्मत /बेची जाने वाली वस्तुयें
1	2	3	4	5

प्रयोग किए जा रहे व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम	लाइसेंस के रद्द करने से सम्बन्धित आदेश	अपील का परिणाम	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
6	7	8	9	10

टिप्पणी– स्तम्भ(4) व्यवहारियों पर लागू नहीं होता है। स्तम्भ (6) मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों पर लागू नहीं होता है।

अनुसूची–छः

[नियम 11 (8) देखिये **]**

उत्तर प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

लाइसेंस प्राप्त मरम्मतकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति

बाटों और मापों के, जिनके अन्तर्गत तौल और माप के उपकरण भी सम्मिलित हैं, के ––––– रूपया 200.00

मरम्मतकर्ता

अनुसूची–सात

[नियम 13 देखिये **]**

प्ररूप– ठड–4

बाटों और मापों के विनिर्माताओं द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1– विनिर्माता का नाम और पता–

2– बाट या माप का विवरण

3– (एक) विनिर्माता लाइसेंस संख्या

(दो) दिनांक, जब लाइसेंस जारी किया गया था

(तीन) लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि

4. लाइसेंस को निलम्बित या प्रतिसंहरित करने वाले आदेश का विवरण, यदि कोई :

क्र0सं0	मास	पूर्व मास का अविक्रित स्टाक	मास के दौरान विनिर्मित परिमाण	कुल (3+4)
1	2	3	4	5

राज्य के भीतर विक्रय किया गया		राज्य के बाहर विक्रय किया गया			कुल विक्रय (6+9)	अतिशेष (5–11)	अभ्युक्तियां
विक्रीत मदों की संख्या	सम्प्रेषण बाउचर की संख्या व दिनांक	राज्य का नाम	विक्रीत मदों की संख्या	सम्प्रेषण बाउचर की संख्या व दिनांक			
6	7	8	9	10	11	12	13

IndiaCode

अनुसूची–सात

[नियम 13 देखिये]

प्ररूप–ठद–4

बाटों, मापों के सम्बन्ध में मरम्मतकर्ता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

मरम्मतकर्ता का नाम और पता.....

लाइसेंस संख्या..... लाइसेंस का दिनांक.....

क्रम संख्या	दिनांक	उपयोक्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ है	मरम्मत के लिए निश्चित की गई मदें और उनकी संख्यायें	उपयोक्ता को दी गयी रसीद संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5

मरम्मत प्रभार की धनराशि	सत्यापन फीस की धनराशि	प्रभारित कुल धनराशि	उपयोक्ता को वापस करने का दिनांक	अभ्युक्तियां
6	7	8	9	10

IndiaCode

अनुसूची–सात

[नियम 13 देखिये]

प्ररूप–ठघ–4

बाटों, मापों के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1– व्यवहारी का नाम और पता ————————————————————

2– बाट या माप का विवरण ————————————————————

3– (एक) व्यवहारी लाइसेंस संख्या ————————————————

(दो) लाइसेंस जारी करने का दिनांक ————————————————

(तीन) लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि ————————————————————————

4— लाइसेंस के निलम्बन या प्रतिसंहरण करने वाले आदेश का विवरण यदि कोई ————————————
:

5— बाट या माप का प्रवर्ग (श्रेणी क या ख) ————————————————————————

क्रम संख्या	मास	पूर्व मास का अविक्रित स्टाक	मास के दौरान राज्य के भीतर से लाया गया	मास के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया	योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6

राज्य के भीतर विक्रय किया गया		राज्य के बाहर विक्रय किया गया			कुल विक्रय (7+9)	अतिशेष (6—12)	अभ्युक्तियां
विक्रीत मदों की संख्या	संम्प्रेषण बाउचर की संख्या और दिनांक	विक्रीत मदों की संख्या	सम्प्रेषण बाउचर की संख्या और दिनांक	राज्य का नाम			
7	8	9	10	11	12	13	14

IndiaCode

अनुसूची—आठ

[नियम 16 (3) देखिये **]**

उत्तर प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम..... संख्या.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज दिनांकको

..... के निवासी से सम्बन्धित नीचे उल्लिखित बाटों, मापों आदि को सत्यापित और स्टाम्पित/अस्वीकार कर दिया है।

परिमाण	अंकित मान		तौल के उपकरण				माप के उपकरण	सत्यापन फीस रूपये.. पैसे....	वहन, प्रवहण, समायोजन प्रभार आदि
	बांट	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	किस्म			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....के द्वारा मरम्मत की गई/प्रस्तुत किया गया।
..... .(हस्ताक्षर)

कोषागार रसीद की संख्या.....
दिनांक.....के माध्यम से कुल रूपयाजमा किया गया।

अगले सत्यापन का दिनांक.....

विधिक माप विज्ञान अधिकारी

टिप्पणीः– अस्वीकृत बाटों, मापों आदि के सम्बन्ध मे विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक मद के विरुद्ध अस्वीकार किये जाने का कारण उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति का प्रमाणपत्र देगा।

IndiaCode

अनुसूची– नौ

(नियम 17 (1) देखिये)

बाटों, मापों, तौल और माप के उपकरणों के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीसः–

1. **(क) बुलियन बाटः**

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
10 किलोग्राम	30.0
5 किलोग्राम	20.0
2 किलोग्राम	20.0
1 किलोग्राम	20.0
500 ग्राम	15.0
200 ग्राम	15.0
100 ग्राम	15.0
50 ग्राम	15.0
20 ग्राम	15.0
10 ग्राम	15.0
5 ग्राम	15.0
2 ग्राम	15.0
1 ग्राम	15.0

(ख) कैरेट बाटः

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
100 ग्राम (500 कैरेट)	20.00
40 ग्राम (200 कैरेट)	20.00
20 ग्राम (100 कैरेट)	20.00
10 ग्राम (50 कैरेट)	20.00
4 ग्राम (20 कैरेट)	20.00
2 ग्राम (10 कैरेट)	20.00
1 ग्रा0 (5 कैरेट)	20.00
400 मिलीग्राम (2 कैरेट)	20.00
200 मिलीग्राम (1 कैरेट)	20.00
100 मिलीग्राम (0.5 कैरेट)	20.00
40 मिलीग्राम (0.2 कैरेट)	20.00
20 मिलीग्राम (0.1 कैरेट)	20.00
10 मिलीग्राम (0.05 कैरेट)	20.00
4 मिलीग्राम (0.02 कैरेट)	20.00
2 मिलीग्राम (0.01 कैरेट)	20.00
1 मिलीग्राम (0.005 कैरेट)	20.00

(ग) सिलिन्ड्रिकल नॉब टाइप बाट :

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

IndiaCode

(घ) चादरी धातु बाट (बुलियन से भिन्न) :

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
500 मिलीग्राम	5.00
200 मिलीग्राम	5.00
100 मिलीग्राम	5.00
50 मिलीग्राम	5.00
20 मिलीग्राम	5.00
10 मिलीग्राम	5.00
5 मिलीग्राम	5.00
2 मिलीग्राम	5.00
1 मिलीग्राम	5.00

(ङ) हेक्सागोनल लौह, नॉब टाइप बाट और पैरेलेलोपाइपिड बाट :

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
50 किलोग्राम	25.00
20 किलोग्राम	20.00
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

IndiaCode

(च) उच्च क्षमता के तौल यंत्रों की जाँच के लिए मानक बाट :

अंकित मान	अधिकतम् अनुज्ञेय सापेक्ष त्रुटि 0.5 / 10000 के तत्समान फीस रुपये मे	अधिकतम् अनुज्ञेय सापेक्ष त्रुटि 3.3 / 10000, 1.7 / 10000 और 1.0 / 10000 के तत्समान फीस रुपये में
100 किलोग्राम	75.00	50.00
200 किलोग्राम	150.00	100.00
500 किलोग्राम	300.00	200.00
1000 किलोग्राम	750.00	500.00
2000 किलोग्राम	1500.00	1000.00
5000 किलोग्राम	3000.00	2000.00

2. **क्षमता माप :**

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
100 लीटर और इससे अधिक	प्रथम 100 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 50.00 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए रु0 7.00 किन्तु अधिकतम् रु0 5000.00
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मिली लीटर	10.00
200 मिली लीटर	10.00
100 मिली लीटर	10.00
50 मिली लीटर	10.00
20 मिली लीटर	10.00
10 मिली लीटर	10.00
5 मिली लीटर	10.00
2 मिली लीटर	10.00
1 मिली लीटर	10.00

IndiaCode

3. लम्बाई माप :

(क) अनम्य–

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
2 मीटर	10.00
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	20.00
1.00 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर) ग्रेजुएटेड	20.00
0.50 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर) ग्रेजुएटेड	20.00

(ख) प्लास्टिक का बना/बुना हुआ/स्टील फीताः

यथार्थता वर्ग (1)	प्रति मीटर फीस (रूपये) (2)
वर्ग–एक	1.00
वर्ग–दो	1.00
वर्ग–तीन	0.50

(ग) फोल्डिंग स्केलः

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	10.00

(घ) सर्वेक्षण चेनः

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
30 मीटर	100.00
20 मीटर	100.00

4. बीम स्केल वर्ग क और वर्ग खः

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
200 किलोग्राम	400.00
100 किलोग्राम	300.00
50 किलोग्राम	150.00
20 किलोग्राम	150.00
10 किलोग्राम	150.00
5 किलोग्राम	100.00
2 किलोग्राम	100.00
1 किलोग्राम	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

IndiaCode

5. बीम स्केल वर्ग ग और घ :

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
1000 किलोग्राम	200.00
500 किलोग्राम	200.00
300 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	100.00
100 किलोग्राम	100.00
50 किलोग्राम	20.00
20 किलोग्राम	20.00
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	15.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00

6. गैर–स्वचालित तौल उपकरण–यांत्रिक (एनलॉग) वर्ग तीन और चार :

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00

100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 किलोग्राम	300.00
1000 किलोग्राम	300.00
500 किलोग्राम	300.00
300 किलोग्राम	200.00
250 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	100.00
150 किलोग्राम	100.00
100 किलोग्राम	100.00
50 किलोग्राम	100.00
30 किलोग्राम	100.00
25 किलोग्राम	60.00
20 किलोग्राम	60.00
15 किलोग्राम	30.00
10 किलोग्राम	30.00
5 किलोग्राम	30.00
3 किलोग्राम	30.00
2 किलोग्राम	30.00
1 किलोग्राम	15.00
500 ग्राम और उससे कम	15.00

IndiaCode

7. गैर–स्वचालित तौल उपकरण–इलेक्ट्रॉनिक वर्ग तीन और वर्ग चार :

अंकित मान (1)	प्रति अद्द फीस (रुपये) (2)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00

20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 किलोग्राम	250.00
1000 किलोग्राम	250.00
500 किलोग्राम	250.00
300 किलोग्राम	200.00
250 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	200.00
150 किलोग्राम	200.00
100 किलोग्राम	200.00
50 किलोग्राम	200.00
30 किलोग्राम	200.00
25 किलोग्राम	200.00
20 किलोग्राम	100.00
15 किलोग्राम	100.00
10 किलोग्राम	100.00
5 किलोग्राम	100.00
3 किलोग्राम	100.00
2 किलोग्राम	100.00
1 किलोग्राम	100.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00

IndiaCode

8. गैर–स्वचालित तौल उपकरण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनो, वर्ग एक और वर्ग दोः

क्षमता (1)	फीस (रुपये) (2)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किलोग्राम से अधिक	500.00
50 किलोग्राम से अनधिक किन्तु 10 किलोग्राम से	250.00
10 किलोग्राम से अनधिक	200.00

9. स्वचालित तौल उपकरण :

क्षमता (1)	फीस (रुपये)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किलोग्राम से अधिक	500.00
50 किलोग्राम से अनधिक किन्तु 10 किलोग्राम से	250.00
10 किलोग्राम से अनधिक	200.00

10. आयतन मापक उपकरणः

(क) डिस्पेन्सिग पम्प, प्रति पम्प — रु0 1000.00 प्रति इकाई

(ख) योगकरण काउन्टर — रु0 500.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरणः

क्षमता	फीस (रुपये)
(1)	(2)
100 लीटर से अधिक	प्रथम 100 लीटर के लिए रु0 500.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100लीटर या उसके भाग के लिए रु0 250.00
100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक	500.00
50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक	250.00
20 लीटर से अनधिक	200.00

11. **फ्लोमीटरः**

फ्लोरेट 100 लीटर/मिनट तक — रु0 2000.00

100 लीटर/मिनट से अधिक
किन्तु 500लीटर/मिनट तक — रु0 3000.00

500 लीटर/मिनट से अधिक — रु0 5000.00

12. **रेखीय मापक उपकरणः**

टैक्सी, आटोरिक्शा मीटर — रु0100.00

अन्य मीटर — प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 50.00 और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 मीटर या उसके भाग के लिए रुपये 5.00

13. **डाक्टरी थर्मामीटर** — रुपये 0.50 प्रति इकाई

14. पानी का मीटर — रुपये 25.00 प्रति इकाई

15. पेग मापकः

30 मिलीलीटर	50.00
60 मिलीलीटर	50.00
100 मिलीलीटर	50.00

16. सी0एन0जी0 डिस्पेन्सरः — रु0 1000.00 प्रति इकाई

17. एल0पी0जी0 डिस्पेन्सरः	रु0 1000.00 प्रति इकाई

18. काउन्टर मशीनः

10 कि0ग्रा0 तक — रु0 20.00 प्रति इकाई

10 कि0ग्रा0 से अधिक — रु0 50.00 प्रति इकाई

IndiaCode

अनुसूची–10

{ नियम 26(1) देखिये }

विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश के विरुद्व अपील का प्ररूप–

1. अपीलकर्ता का नाम और पता.....

2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान का आदेश संख्या व दिनांक, जिसके विरुद्व अपील की गयी है.....

3. अपीलकर्ता व्यक्तिगत रुप से अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई चाहता है.....

4. अपील का आधार.....

अनुसूची–11

(नियम 27 देखिए)

विभिन्न अपराधों के लिए शमन शुल्क

क्रमांक	धारा एवं अपराध की प्रकृति	दण्ड की धारा	शमन शुल्क
1	धारा–8(3) मानक बांट, माप या संख्या के अतिरिक्त बांट, माप या संख्या का प्रयोग	25	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 25000.00 तक हो सकता है।
2	धारा–8(4) बांट या माप के निर्माताओं द्वारा मानको के अनुरूप निर्माण न किया जाना	27	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 20000.00 तक हो सकता है।
3	धारा–10 वस्तुओं आदि के संव्यहार या व्यवहार या अनुबंध के लिए विहित बांट, माप या संख्या द्वारा से भिन्न प्रयोग करना	28	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 10000.00 तक हो सकता है।
4	धारा–11 बाट, माप या संख्या के मानक इकाई से भिन्न उत्कथन या उद्घोष या निर्गत करना या मूल्य सूची का प्रदर्शन या मूल्य सूची में परिवर्तन करना	29	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 10000.00 तक हो सकता है।
5	धारा–12 सहमति या अनुबंध के द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से किसी वस्तु या सामान या सेवा में कम या ज्यादा की मांग करना या प्राप्त करना	30	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 10000.00 तक हो सकता है।
6	धारा–17 निर्माता, व्यवहारी या मरम्मतकर्ता द्वारा रिकार्ड और रजिस्टर का अनुरक्षण और मांगे जाने पर बाट, माप, अभिलेख या रजिस्टर का प्रस्तुत न किया जाना	31	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 5000.00 तक हो सकता है।

IndiaCode

7	धारा–18(1) निर्माता/व्यवहारी द्वारा डिब्बा बंद वस्तुओं के संबंध में घोषणा का अनुपालन न किया जाना	36(1)	प्रथम अपराध के लिए न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 25000.00 तक हो सकता है। द्वितीय अपराध के लिए न्यूनतम रूपये 25000.00 जो रूपये 50000.00 तक हो सकता है। अनुवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम रूपये 50000.00 जो रूपये 100000.00 तक हो सकता है।
8	धारा–18(1) निर्माता द्वारा डिब्बा बंद वस्तु में शुद्ध मात्रा का अनुपालन न किया जाना	36(2)	प्रथम अपराध के लिए न्यूनतम रूपये 10000.00 जो रूपये 50000.00 तक हो सकता है। द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम रूपये 50000.00 जो रूपये 100000.00 तक हो सकता है
9	धारा–23 बिना लाइसेंस के बाट या माप का निर्माण	45	न्यूनतम रूपये 5000.00 जो रूपये 20000.00 तक हो सकता है।
10	धारा–23 बिना लाइसेंस के बाट या माप का मरम्मत/विक्रय	46	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 5000.00 तक हो सकता है।
11	धारा–24 संव्यवहार या संरक्षण में असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	33	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 10000.00 तक हो सकता है
12	धारा–33 असत्यापित बाट या माप का विक्रय	33	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 10000.00 तक हो सकता है।

IndiaCode

13	धारा–34 अमानक बाट या माप के द्वारा वस्तुओं का विक्रय या वितरण	34	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 5000.00 तक हो सकता है।
14	धारा–35 अमानक बाट या माप द्वारा सेवा देना	35	न्यूनतम रूपये 2000.00 जो रूपये 5000.00 तक हो सकता है।
15	धारा–47 लाइसेंस के साथ छेडछाड	47	न्यूनतम रूपये 5000.00 जो रूपये 20000.00 तक हो सकता है
16	धारा–53(3) अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियम का उल्लंघन	53(3)	न्यूनतम रूपये 500.00 जो रूपये 5000.00 तक हो सकता है।

IndiaCode

आज्ञा से,
नेत राम,
प्रमुख सचिव।